प्रतिनिधिक दायित्व

संक्षिप्त टिप्पणी

कोई भी व्यक्ति उन दोषपूर्ण कृत्यों के लिये उत्तरदायी होता जो स्वयं अपने द्वारा किये गये हो। और दूसरों के द्वारा किये गये दोषपूर्ण कृत्यों के लिये उसका कोई दायित्व नहीं होता है परन्तु कुछ ऐसी स्थित होती हैं जिनमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य के लिये उत्तरदायी होता है।चाहें वह स्वयं ही कितना निर्दोष क्यों न हो। ऐसे दायित्व को प्रतिनिधिक दायित्व कहते हैं।

वर्तमान में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धान उपर्युक्त कथनों के साथ ही एक नवीन दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसे लार्ड पियर्स ने इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज लि० बनाम स्टेट बेल [(1965) ए० सी० 656] के वाद में इस प्रकार व्यक्त किया है कि-

प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धान्त किसी बहुत स्पष्ट एवं तर्कयुक्त विधिक सिद्धान्त से नहीं निकला है बल्कि सामाजिक सुविधा एवं सामान्य न्याय पर आधारित है। मालिक नौकर को अपने लाभ के लिये रखता है और इस स्थिति में रहता है कि क्षतिपूर्ति कर सके, इसलिए नौकर द्वारा सेवाकाल में की गई सभी क्षतियों के लिये उसे (मालिक को) उत्तरदायी ठहराना उचित ही होगा।

ऐसा दायित्व साधारणत: तीन प्रकार से उत्पन्न होता है-

1. अनुसमर्थन द्वारा उत्पन्न दायित्व,
2. विशेष सम्बन्धों के कारण उत्पन्न दायित्व,
3. दुष्प्रेरण से उत्पन्न दायित्व ।

1. अनुसमर्थन द्वारा उत्पन्न दायित्व-

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिये बिना किसी प्राप्त अधिकार के कोई कार्य करता है तो यदि उस कार्य को बाद में दूसरे व्यक्ति, जिसके लिए कार्य किया गया था, के द्वारा अनुसमर्थित कर दिया जाता है तो इस प्रकार अनुसमर्थन करने वाला व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है, भले ही वह कार्य उसके लाभ के लिये हो या हानि के लिये।

अनुसमर्थन के द्वारा उत्तरदायित्व तभी उत्पन्न होता है जबकि निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी होती हों-

1. अनुसमर्थित कृत्य जब किया गया था तब अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति के लिये किया गया है।
2. अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति को कृत्य की अपकृत्य सम्बन्धी प्रकृति की पूर्ण जानकारी हो।
3. अवैधानिक एवं अवैध कार्यों का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है।

2. विशिष्ट सम्बन्धों के द्वारा

जब अपकृत्य करने वाले व्यक्ति एवं अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराये जाने वाले व्यक्ति के मध्य इस प्रकार का विशिष्ट सम्बन्ध हो कि कृत्य करने वाले व्यक्ति के स्थान पर न्याय की दृष्टि से उससे संबंधित व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहरना उचित प्रतीत हो कि वास्तव में कार्य का संबंध उसी व्यक्ति से था।

❑ धरनिधर पंडा बनाम उड़ीसा राज्य (ए० आई० आर० 2005 उड़ीसा 36)

इस वाद में स्कूल के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण शिक्षा समिति की थी जो राज्य के अभिकर्त्ता के रूप में कार्यरत है। स्कूल की चहारदीवारी व खम्भे के ढह जाने से राज्य सरकार बच्चों की

मृत्यु के लिए प्रतिनिहित रूप से जिम्मेदार मानी गई।

संक्षिप्त टिप्पणी

3. दुष्प्रेरण द्वारा उत्पन्न दायित्व

जब कभी कोई अपकृत्य किया जाता है तो कार्य करने वाले के साथ-साथ कृत्य करने में मदद करने वाला भी उत्तरदायी माना जाता है। उसे भी अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसके लिए आवश्यक है-

1. वह जानबूझकर अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपकृत्य को करने के लिए किसी को उकसाये; या
2. कृत्य कर्त्ता को उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृत्य को अवैधानिक ढंग से करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दे।

विशेष सम्बन्धों के कारण उत्पन्न दायित्व -

ऐसा दायित्व साधारणतया तीन प्रकार के सम्बन्ध में उत्पंन होता है। जो निम्नलिखित है-

(1) अभिकर्ता के अपकृत्य के लिये प्रमुख का दायित्व।

(2) एक दूसरे के अपकृत्य के लिये भागीदारों का दायित्व।

(3) सेवक के अपकृत्य के लिये स्वामी का दायित्व।

(1) अभिकर्ता के अपकृत्य के लिये प्रधान का दायित्व

जब कोई प्रधान अपना कार्य किसी अभिकर्त्ता से करवाता है और उस कार्य को करने से यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचे तो अभिकर्ता द्वारा किये गए कार्यों के लिए प्रधान उत्तरदायी होगा। प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किये गये दोषपूर्ण कृत्य के लिये प्रमुख उत्तरदायी होता है। यदि अभिकर्ता अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के बिना कोई कार्य करता है और प्रमुख बाद में उसे अनुसमर्थन प्रदान कर देता है तो प्रमुख भी उत्तरदायी होगा।

❑ आर्मरॉड बनाम क्रासविले मोटर सर्विस लिमिटेड, (1953) 2 ऑल ई. आर. 753

इस वाद में कार के स्वामी ने अपने मित्र को कार चलाने के लिये दी। मित्र द्वारा कार चलाते समय कार एक बस से टकरा गई। कार के स्वामी को उत्तरदायी ठहराया गया।

❑ लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एण्ड कम्पनी (1912) ए.सी.716

इस वाद में लॉयड ने सालीसीटरों की एक फर्म ग्रेस स्मिथ एण्ड कम्पनी के कार्यालय से, सम्पर्क स्थापित किया था और अपनी सम्पत्ति के निमित्त आवश्यक सलाह माँगी। कम्पनी के प्रबन्धकीय क्लर्क ने उसकी बातों को सुना और उसे यह सलाह दी कि वह दोनों कुटीरों को बेच दे, और उससे प्राप्त धन का उपयोग किसी अन्य रीति से करे। श्रीमती लायड से कहा गया है कि वह दो दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दे, वे दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तावित विक्रय-प्रपत्र के रूप में प्रस्तुत किये गये। वास्तव में जिन दस्तावेजों पर महिला से हस्ताक्षर कराये गये वे स्वयं उसी क्लर्क के पक्ष में लिखे गये दान प्रपत्र थे।

उसके बाद उस क्लर्क ने सम्पत्ति को बेच दिया और उससे प्राप्त धनराशि का दुर्विनियोग कर दिया। क्लर्क ने केवल अपने लाभ के लिये यह सब किया था और उसके प्रमुख को उसके इन कार्यों का कुछ भी ज्ञान न था। यह धारित किया गया कि चूंकि अभिकर्ता ने अपने प्रमुख के प्रकट अथवा दृश्यमान प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य किया था, अतः प्रमुख अपने अभिकर्ता द्वारा किये गये कपट के लिये उत्तरदायी था।

❑ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम श्याम देवी (ए.आई.आर.1978) एस.सी.1263

इस वाद में वादी के पति ने कुछ धनराशि और चेक अपने मित्र को दिये। उसका मित्र प्रतिवादी

संक्षिप्त टिप्पणी

बैंक का एक कर्मचारी था। धनराशि और चेक वादी के खाते में जमा करने के लिये दिये गये थे। इन्हें जमा करने की कोई उचित रसीद बैंक के कर्मचारी द्वारा नहीं दी गई। वास्तव में बैंक के कर्मचारी ने धनराशि का दुर्विनियोग कर लिया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि बैंक के कर्मचारी द्वारा जब कपट किया गया था, तब तक बैंक के नियोजन के अनुक्रम में कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि जमाकर्ता के मित्र के रूप में अपनी निजी क्षमता के अन्तर्गत कार्य कर रहा था। अत: प्रतिवादी बैंक को उसके लिये उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।

(2) किसी फर्म के भागीदारों के अपकृत्य के लिये दायित्व

यदि किसी फर्म का कोई भागीदार फर्म के कारबार के अनुक्रम में कोई अपकृत्य करता है तो उस फर्म के अन्य भागीदार भी उसी सीमा तक उत्तरदायी होंगे जितना कि वास्तव में अपकृत्य करने वाला भागीदार उत्तरदायी है। प्रत्येक भागीदार का उत्तरदायित्व संयुक्त और पृथक् दोनों होता है।

❑ हैमलिन बनाम होस्टन एण्ड कम्पनी (1903)

इस वाद में प्रतिवादी की फर्म में दो भागीदार थे जिनमें से एक ने अपने प्राधिकार में कार्य करते हुए वादी के क्लर्क को रिश्वत दी ताकि वह वादी के व्यापार की गोपनीय बातें उसे बता दे। इस कार्य के लिये दोनों भागीदारों को उत्तरदायी ठहराया गया जबकि दोषपूर्ण कार्य केवल एक भागीदार ने किया था।

(3) स्वामी और सेवक

यदि अपने नियोजन के अनुक्रम में कोई सेवक अपकृत्य करता है तो उसके लिए उसका स्वामी उत्तरदायी होगा। स्वामी का उत्तरदायित्व "प्रतिवादी उत्कृष्ट" (Respondent Superior) एवं "qui facit per alium facit per se", अर्थात् यदि कोई व्यक्ति दूसरे के माध्यम से कार्य करता है तो विधि के अधीन यह माना जाएगा कि उक्त कार्य उसने स्वयं किया है, के सिद्धांतों पर आधारित है। स्वामी का दायित्व सेवक के दायित्व के अतिरिक्त होता है।

यह दायित्व दो सूत्र पर आधारित है

1. 'Qui facit alium facit per se'
2. Respondent Superior

'Qui facit alium facit per se' का अर्थ है कि वह जो दूसरे के द्वारा कार्य करता है वह विधि के अनुसार उसे स्वयं द्वारा किया हुआ माना जाता है इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहता है वह उसे स्थिति के अनुसार कार्य करने को छूट देता है तथा जब वह कार्य कर दिया गया हो तो स्वामी उसके कार्यों में लिए उत्तरदायी होता है। परन्तु यदि कार्य नियोजन के अनुक्रम में नहीं किया गया है तो वह उत्तरदायी नहीं होगा।

Respondent Superior का अर्थ है कि अर्थात् प्रवर (Superior) को उत्तरदायी होने दो।

ऐसे सामलों में वह व्यक्ति, जो आदेशों का पालन करता है, उसके साथ वह व्यक्ति जो आदेश देता है बराबर उत्तरदायी होता है। यह नियम इस वैधानिक उपधारणा पर आधारित है कि सेवक द्वारा अपने स्वामी के व्यापार के अन्तर्गत किये गये कार्यों के लिए स्वामी ही उत्तरदायी होता है स्वामी अपने सेवक के नियोजन के अनुक्रम में किये गये कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है चाहे ऐसा कार्य करने के लिए पूर्व प्राधिकार नहीं दिया गया था। स्वामी का प्रतिनिधिक दायित्व, सेवक के विधिक या अवैध प्रकृति के कार्यों पर निर्भर नहीं करता है तथा स्वामी अपने सेवक द्वारा नियोजन के अनुक्रम में गये प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होगा

स्वामी के उत्तरदायित्व के लिये आवश्यक तत्व निम्नलिखित है

संक्षिप्त टिप्पणी

- ➲ अपकृत्य सेवक द्वारा किया गया हो।
- ➲ सेवक ने अपकृत्य अपने नियोजन के अनुक्रम में किया हो।

सेवक

सेवक वह व्यक्ति है, जो किसी दूसरे व्यक्ति (स्वामी) के निर्देश और नियन्त्रण के अनुसार कार्य करने के लिये नियोजित किया गया है। अर्थात जो किये जाने वाले कार्य करने के ढंग के सन्दर्भ में अपने नियोजक के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होता है। साधारणतया स्वामी अपने सेवक द्वारा किये गये अपकृत्य के लिये उत्तरदायी होता है,

नियोजन का अनुक्रम

स्वामी भी ऐसे समस्त अपकृत्यों के लिये उत्तरदायी होता है जिसे वह वास्तविकत: प्राधिकृत करता है। स्वामी का उत्तरदायित्व न केवल उन कार्यों तक सीमित रहता है, जिसे करने के लिये वह अभिव्यक्तत: प्राधिकृत करता है, वरन् वह ऐसे अपकृत्यों के लिये भी उत्तरदायी होता है, जिसे सेवक ने नियोजन के अनुक्रम में किया है। कोई कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया जाना तब माना जाता है, यदि वह या तो-

(1) स्वामी द्वारा प्राधिकृत कोई दोषपूर्ण कार्य है अथवा

(2) स्वामी द्वारा प्राधिकृत कार्य दोषपूर्ण अप्राधिकृत ढंग से किया गया हो

- ➲ स्वामी सेवक द्वारा किये गए किसी ऐसे कार्य के लिये उत्तरदायी नहीं होता, जिस कार्य को करने का न ही उसने प्राधिकार प्रदान किया है, और न ही वह प्राधिकार कार्य को करने की दोषपूर्ण पद्धति है, क्योंकि तब सेवक द्वारा किया गया कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया गया कार्य नहीं माना जाता। इस प्रकार यदि मैं सेवक को बाजार भेजकर अपने लिये कुछ सामान क्रय करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ और वहाँ जाकर वह कुछ मानहानिकारक शब्दों को बकने लगता है, तो उसके द्वारा किया गया मानहानि का दोषपूर्ण कार्य नियोजन के अनुक्रम से बाहर किया गया कार्य है और मैं उसके लिये उत्तरदायी नहीं हूँ।
- ➲ किसी अप्राधिकृत कार्य के लिये उत्तरदायित्व तभी उत्पन्न होता है जब वह कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया गया हो, अर्थात् जब किसी प्राधिकृत कार्य को करने की दोषपूर्ण पद्धति अपनाई गई हो।

  जैसे :- यदि मैं अपने सेवक को कार चलाने के लिये प्राधिकृत करता हूँ और वह उसे असावधानी के साथ चलाता है, और किसी को क्षतिग्रस्त कर देता है
- ➲ प्रत्येक उस मामले में सेवक वही कार्य करता है, जिसे करने के लिये वह प्राधिकृत है, परन्तु उसके कार्य करने की पद्धति दोषपूर्ण है। इनमें से हर कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया गया है, तब स्वामी को उसके लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

❐ सेन्चुरी इन्श्योरेन्स कम्पनी बनाम नार्दर्न आयरलैण्ड रोड ट्रान्सपोर्ट बोर्ड 1942 ए०सी० 509

इस वाद में 'क' का सेवक, जो एक पेट्रोल गाड़ी का चालक था, जब गाड़ी में से पेट्रोल जमीन के नीचे बनी हुई टंकी में डाल रहा था, तब उसने सिगरेट जलाने के लिये माचिस जलाकर जलती हुई दियासलाई को जमीन की सतह पर फेंक दिया। इसके परिणामस्वरूप आग लग गई और विस्फोट भी हुआ, जिसके कारण 'ख' की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो गई।

हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा यह धारित किया गया कि यद्यपि चालक ने अपने आराम के लिये सिगरेट जलाई थी, परन्तु यह उसका अपने कार्य को सावधानीपूर्वक करने का तरीका था। कार्य, चूंकि नियोजन के अनुक्रम में किया गया था, अत: 'क' अपने चालक की असावधानी के लिये उत्तरदायी था

संक्षिप्त टिप्पणी

❐ **बारविक बनाम इंगलिश ज्वाइन्ट स्टॉक बैंक 1867 एल० आर० 259**

इस वाद में न्यायाधीश विलेस ने स्पष्ट किया कि ष्इन समस्त मामलों में यह कहा जा सकता है, कि स्वामी ने कार्य को प्राधिकृत नहीं किया है। यह सच है कि उसने किसी कार्य विशेष को प्राधिकृत नहीं किया है, परन्तु उसने अभिकर्ता को उस स्थान पर लगा दिया है, जहाँ रहकर वह उस प्रकार के कार्य कर सकता था। स्वामी इन स्थितियों में, अपने सेवक द्वारा अपनायी गयी कार्य-पद्धति के लिये उत्तरदायी है, क्योंकि उसने (स्वामी ने) ही सेवक को उस स्थान पर नियुक्त कर रखा है, जहाँ रहकर वह अपना वैसा आचरण दिखला सकता था।

नियोजन के अनुक्रम से बाहर किया गया कार्य

जब सेवक का कार्य पूर्णत: उस कार्य से भिन्न होता है, जो स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तब उस कार्य को नियोजन के अनुक्रम से बाहर का कार्य माना जाता है,

जब सेवक द्वारा दोषपूर्ण ढंग से उसके स्वामी का कार्य व्यापार के साधारण अनुक्रम में नहीं किया जाता तब प्रकटत: वह कार्य नियोजन के अनुक्रम से बाहर किया गया कार्य होता है ऐसा कार्य मात्र इसलिये नियोजन के अनुक्रम के अन्तर्गत नहीं आ जाता, क्योंकि सेवक को स्वामी के नियोजन में रहने के कारण ही उस दोषपूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता था।

❐ **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम श्यामा देवी 1978 ए०आई०आर० 1263**

इस वाद में वादी के पति ने प्रतिवादी के सेवक को, जो वादी के पति का मित्र भी था, एक मित्र के रूप में नकद धन और चेक प्रतिवादी बैंक में वादी के खाते में जमा करने के लिये दिये। पति को इस मित्र द्वारा धन जमा करने की न तो कोई रसीद दी गई और न ही कोई बाउचर। प्रतिवादी के सेवक ने वादी के खाते में जमा करने के बजाय चेक को भुना दिया और नकद धन का दुर्विनियोग कर लिया। प्रतिवादी के सेवक ने वादी की पासबुक और बैंक के लेजर में मिथ्या प्रविष्टियाँ कर दीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि सेवक ने नियोजन के अनुक्रम से बाहर कार्य किया था और प्रतिवादी बैंक को उस सेवक द्वारा किये गये कपटपूर्ण कार्य के लिये उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

❐ **वियर्ड बनाम लन्दन जनरल ओमनीबस कम्पनी (1900)2 क्यू०बी० 530**

इस वाद में यात्रा की समाप्ति पर एक बस का ड्राइवर अपना भोजन करने के लिये चला गया। ड्राइवर की अस्थायी अनुपस्थिति में बस के कन्डक्टर ने बस को मोड़ने के लिये चलाया, ताकि वह अगली यात्रा के लिये तैयार रहे, और ऐसा करने में उसे असावधानी से एक दुर्घटना कारित कर दी, जिससे वादी क्षतिग्रस्त हो गया। बस चलाना कन्डक्टर का कर्तव्य नहीं था। चूंकि, बस का चलाना एक ऐसा कार्य नहीं था, जिसे कन्डक्टर को प्राधिकृत किया गया था अत: कन्डक्टर का कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है न्यायालय ने यह धारित किया गया कि प्रतिवादी कम्पनी उत्तरदायी नहीं थी।

स्वामी का उत्तरदायित्व तभी उत्पन्न होता है, जब प्रतिनिधिक दायित्व की दोनों शर्तें सन्तुष्ट कर दी जांय, अर्थात् अपकृत्य करने वाला व्यक्ति स्वामी का सेवक हो, और जब वह अपकृत्य कारित कर रहा था, तब वह नियोजन के अनुक्रम में कार्य कर रहा था।

सेवक की असावधानी

यदि कोई सेवक नियोजन के अनुक्रम में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए असावधानी के कारण अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित करता है, तो स्वामी उसके लिये उत्तरदायी होता है।

❐ **विलियम्स बनाम जोन्स (1883)3 एच०सी० 602**

इस वाद में प्रतिवादी का सेवक, जो एक बढ़ई था, वादी के शेड में कार्य करने के लिये बुलाया

गया था, जब वह अपने कार्य में व्यस्त था, तब उसने असावधानी के साथ अपने चिलम (Pipe) को पीने के लिये जलाया, और उसके परिणामस्वरूप वादी के शेड में आग लग गई, ऐक्सचेकर चेम्बर के न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि बढ़ई द्वारा असावधानी के साथ किया गया कार्य उसके नियोजन के अनुक्रम में किये जाने वाले कार्य से सम्बन्धित नहीं था, अतः प्रतिवादी को इसके कार्य के लिये उत्तरदायों नहीं ठहराया जा सकता।

संक्षिप्त टिप्पणी

सेवक द्वारा कपट

❐ लायड बनाम ग्रेस स्मिथ एण्ड कम्पनी 1912 ए०सी०

इस वाद में श्रीमती लायड एक विधवा थी, और दो कुटीरों की स्वामिनी थी। इन कुटीरों से मिलने बाली आय से श्रीमती लायड सन्तुष्ट न थी, और वह इस निमित्त आवश्यक परामर्श लेने के लिये सालीसीटरों को एक फर्म 'ग्रेस स्मिथ एण्ड कम्पनी' के कार्यालय में आई। कम्पनी के प्रबन्धकीय क्लर्क ने उसकी बातों को सुना और उसने यह सलाह दी कि वह अपने कुटीरों की बिक्री कर दे। इस हेतु उसने विक्रय के लिये दो हस्ताक्षर करने के लिये श्रीमती लायड के समक्ष प्रस्तुत किये। वास्तव में दस्तावेज विक्रय-प्रपत्र न होकर स्वयं उस क्लर्क के पक्ष में किये गये दान प्रपत्र थे। उसके बाद उस क्लर्क ने उस सम्पत्ति को स्वयं अपने लाभ के लिये बिक्री कर दिया।

हाउस ऑफ लार्ड्स ने एकमत से यह धारित किया कि ग्रेस स्मिथ एण्ड कम्पनी अपने अभिकर्ता के कपट के लिये उत्तरदायी थी, क्योकि जब कोई सेवक व्यापार के अनुक्रम में कार्य करता है, तब उसका स्वामी उत्तरदायी होगा चाहे भले ही स्वामी के लाभ की उपेक्षा सेवक ने अपने ही लाभ के लिये कार्य किया हो।

सेवक द्वारा प्राधिकार का उपेक्षा के साथ प्रत्यायोजन

यदि कोई सेवक उपेक्षा के साथ अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन करता है, और अपने कर्तव्य का स्वयं सावधानीपूर्वक निष्पादन न करके दूसरे व्यक्ति को उसके निष्पादन की अनुमति प्रदान करता है, तो स्वामी अपने सेवक की इस उपेक्षा के लिये उत्तरदायी है।

जैसे- यदि एक चालक स्वयं वाहन को न चलाकर किसी अन्य व्यक्ति को उसे चलाने की अनुमति प्रदान करता है, तो यह चालक द्वारा अपने कर्तव्यों को उपेक्षापूर्ण ढंग से निष्पादन करना माना जायेगा, यदि वह दूसरा व्यक्ति, जिसे चालक ने इस प्रकार वाहन चलाने की अनुमति प्रदान की है, कोई दुर्घटना करता है, तो स्वामी दुर्घटना के प्रतिफल के लिये उत्तरदायी होगा।

स्वतन्त्र ठेकेदार के द्वारा किये गए कार्यों के लिये नियोजक का दायित्व

नियोजक द्वारा नियोजित स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा किये गये अपकृत्य के लिये नियोजक उत्तरदायी नहीं होता है। स्वतन्त्र ठेकेदार नियोजक के किसी भी नियन्त्रण या पर्यवेक्षण के अधीन नहीं रहता। स्वतन्त्र ठेकेदार नियोजक से कार्यों को करने का भार अपने हाथ में लेता है, और कार्य करने के ढंग के विषय में वह स्वयं अपना विवेक प्रयुक्त करता है, और इस निमित्त वह स्वयं अपना स्वामी है

स्वतन्त्र ठेकेदार

स्वतन्त्र ठेकेदार वह होता है, जो किसी निश्चित प्रतिफल को उत्पन्न करने का कार्य अपने हाथ में लेता है, परन्तु उस कार्य के वास्तविक सम्पादन में वह उस व्यक्ति के अधीन रहकर कार्य नहीं करता, जिसके लिये वह कार्य करता है, और ऐसी बातों पर वह स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करता है, जो संविदा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

संक्षिप्त टिप्पणी

❐ मोरगन बनाम इनकारपोरेटेड सेन्ट्रल कौंसिल (1936)1 आल०ई०आर 404

इस वाद में वादी जब प्रतिवादी के परिसर में विधिपूर्ण परिदर्शन पर गया तब वह एक खुले लिफ्ट के किनारे में गिर पड़ा और क्षतिग्रस्त हो गया। प्रतिवादी ने लिफ्ट को संरक्षित और समुचित व्यवस्था के अन्तर्गत रखने का कार्य एवं स्वतन्त्र प्रसंविदाकार (ठेकेदार) को दे रखा था।

न्यायालय ने निर्धारित किया कि स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा लिफ्ट को संरक्षित स्थिति में न रखने की उपेक्षा के लिये प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

कुछ आपवादिक स्थितियों में नियोजक को स्वतन्त्र प्रसंविदाकार के अपकारों के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

******

विगत वर्षो के प्रश्न

1. अपकृत्य विधि के अन्तर्गत प्रतिनिधिक दायित्व का आधार क्या है? किन किन विशेष सम्बन्धो से यह दायित्व उत्पन्न होता है?